उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 12.05.2025

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

## पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 12.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

# महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.05.2025

मीडिया सेल, महोबा

## जानलेवा हमला करने वाले 03 नफर वांछित अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांकः-12.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह का0 नरेन्द्र कुमार व का0 दीपेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जानलेवा हमला किये जाने के सम्बन्ध में थानाहाजा में पंजीकृत किये गये मु.अ.सं. 216/2025 धारा 110/115(2)/352 बीएनएस से सम्बन्धित 03 नफर वाँछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.राजू पुत्र घपला प्रजापति उम्र 55 वर्ष, 2.राजेश पुत्र राजू प्रजापति उम्र 30 वर्ष, 3.पूरन पुत्र राजू प्रजापति उम्र 23 वर्ष निवासीगण रतीबऊ की चक्की के पास मुहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के मीना पैलेस के सामने मोहल्ला भटीपुरा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा भेजा गया है।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी भटीपुरा, थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 दीपेश कुमार 3. कां0 नरेन्द्र कुमार

### गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरणः-

1. राजू पुत्र घपला प्रजापति उम्र 55 वर्ष
2. राजेश पुत्र राजू प्रजापति उम्र 30 वर्ष
3 .पूरन पुत्र राजू प्रजापति उम्र 23 वर्ष

समस्त निवासीगण रतीबऊ की चक्की के पास मुहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा

### आपराधिक इतिहासः

**1. अभियुक्त राजेश** – मु0अ0स0 542/18 धारा 323/504/506/452 भादवि व मु0अ0स0 574/18 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

**2. अभियुक्त राजू** - मु0अ0स0 542/18 धारा 323/504/506/452 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

# MAHOBA POLICE

## Meticulous Investigation & Prosecution

## "गैर इरादतन हत्या" की घटना में संलिप्त 02 नफर अभियुक्तों को 06-06 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 02 हजार/- रूपये के जुर्माने की मिली सजा।

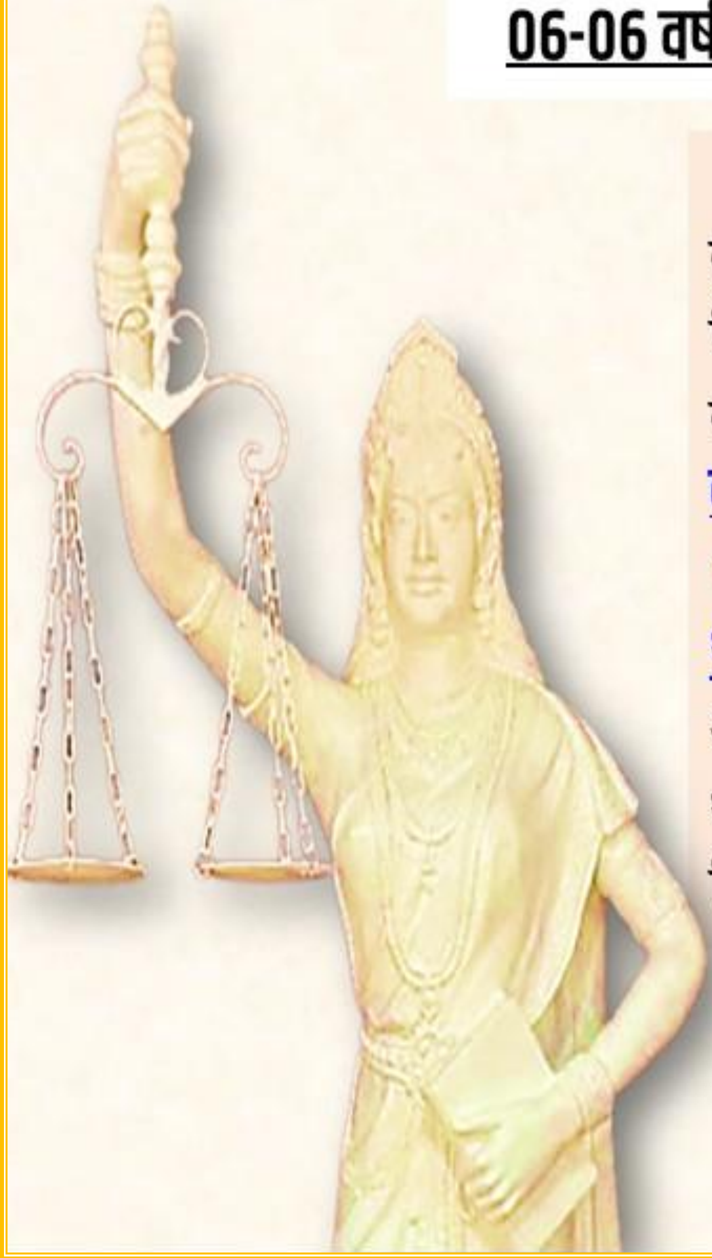

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"Operation Conviction"** के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में गैर इरादतन हत्या की घटना कारित करने वाले आरोपी 02 नफर अभियुक्तों को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, महोबा द्वारा **"06 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रु. के अर्थदण्ड से** दण्डित किया गया है।

❖ **विवरण निम्नवत है:-**

थाना पनवाड़ी में पंजीकृत मु.अ.सं. 126/2022 धारा 304/323/506 भादवि से सम्बन्धित आरोपी 02 नफर अभियुक्त क्रमशः 1.पुष्पेन्द्र अहिरवार पुत्र ग्यासी अहिरवार 2.प्रकाश अहिरवार पुत्र बब्लू निवासीगण ग्राम बुडेरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को 06-06 वर्ष के कठोर कारावास व 51-51 हजार/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

**पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा**
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता

**हे0कां0 लालता प्रसाद**
पैरोकार- थाना पनवाड़ी

# MAHOBA POLICE

## Meticulous Investigation & Prosecution

### जुआ अधिनियम के अभियोग में 14 अभियुक्तों को 1,260/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ पर पंजीकृत जुआ अधिनियम के विभिन्न अभियोगों में परीक्षणोपरांत नामित 14 अभियुक्तों मे से प्रत्येक को 90/- रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत अभियोग क्रमशः मु०अ०सं० 04/2023, 64/2024, 196/2022, 283/2024, 355/2023, 365/2022 तथा 407/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्तगण क्रमशः-

1. भारत राजपूत निवासी ग्राम भण्डवारा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।
2. सुरेश उर्फ सत्यप्रकाश निवासी कहवरिया थाना कुलपहाड़ ।
3. बलवीर निवासी मान सिंह का गुडा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।
4. गजराज निवासी कटवरिया थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।
5. विनोद निवासी गांधी वार्ड थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।
6. दयाशंकर निवासी कटवरिया थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।
7. ईश्वर दयाल निवासी कटवरिया थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
8. श्यामलाल निवासी कस्बा कुलपहाड़ जनपद महोबा ।
9. बृजेश कुमार निवासी मौखरी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।
10. दुर्जन सिंह निवासी मौखरी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।
11. जगत सिंह निवासी लाडपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।
12. अभिषेक निवासी लाडपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।
13. ज्ञानी निवासी ग्राम सुगिरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।
14. महिलपाल प्रजापति निवासी मु0 गहरा पहाडिया कस्बा कुलपहाड़ जनपद महोबा

अभियोजन अधिकारी :- श्री महमुर्दुर रहमान पैरोकार :- का0 राहुल